बेबी रानी मौर्य
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल

राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

सत्यमेव जयते

संख्या– 2355 /जी0एस0/C13-2/शिक्षा/2018

देहरादून : दिनांक : 25 सितम्बर, 2018

आदेश

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल के नये नियमित कुलपति के चयन हेतु पैनल अभी प्राप्त नहीं हुआ है और कदाचित सर्च कमेटी द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2018 तक तत्सम्बन्धी प्रक्रिया को पूरा करना संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत पूर्व आदेश संख्या–1842/जी0एस0/शिक्षा/C13-2/2018 दिनांक 07 अगस्त, 2018 द्वारा अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए उ0प्र0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–11(6) एवं परिनियम–4(तीन)(ख)(a)(सात) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रो0 राजेश भल्ला, अधिष्ठाता (डीन), औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार को दिनांक 26 सितम्बर, 2018 से छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

ह0/–
(बेबी रानी मौर्य)
कुलाधिपति।

संख्या 2355 (1)/जी0एस0/C13-2/शिक्षा/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के चयन प्रक्रिया की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रेषित।
4. प्रो0 ए0के0 मिश्रा, कुलपति, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर।
5. प्रो0 राजेश भल्ला, अधिष्ठाता (डीन), औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार।
6. कुलसचिव, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल।
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
25/09/18
(आर0के0 सुधांशु)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।